Mail

(1)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/भुगतान/369/ 2084 भोपाल दिनांक 13/12/2022

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.....जिला.....(समस्त)

विषयः- कृषकों को कृषि उपज के पूर्ण एवं त्वरित भुगतान के संबंध में।

संदर्भः- (1) मंडी बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक/बी-6/नि/उपविधि/1-3/531 दि. 05/06/2017, (2) पत्र क्रमांक/बी-6/नि/भुगतान/369/1414 दिनांक 23/09/2017, (3) पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 11/10/2017, (4) पत्र क्रमांक 1620 दिनांक 07/11/2017, (5) पत्र क्रमांक 1830 दिनांक 09/04/2018, (6) पत्र क्रमांक 1834 दिनांक 10/04/2018 (7) पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 03/04/2019, (8) पत्र क्रमांक 1894 दिनॉक 15/05/2019 (9)पत्र क्रमांक 1957 दिनांक 29/05/2019 एवं (10) पत्र क्रमांक 2574 दिनांक 30/08/2019

संदर्भित समस्त पत्रों का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न है) जिनके द्वारा समय-समय पर कृषकों को कृषि उपज के विक्रय मूल्य के पूर्ण एवं त्वरित भुगतान करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गये हैं। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत कृषकों को उनकी विक्रय उपज का नगद भुगतान उसी दिन (मंडी में विक्रय संव्यवहार के दिन) किए जाने की अनिवार्यता है। इस कार्यालय के पत्र दिनॉक- 15/05/2019 से एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किसानों के खातों में अधिकतम तीन से पाँच दिवस में भुगतान प्राप्त होने की समयसीमा नियत की गई है। मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ख) के अनुसार विक्रेता को देय कृषि उपज के एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान पाँच दिवस के भीतर करने का प्रावधान है एवं इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ग) के तहत क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठवें दिन स्वतः निरस्त हो जाती है। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कृषकों को विक्रय मूल्य का चेक से भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित है।

2. वर्तमान में खरीफ की फसलों की मंडियों में व्यापक आवक हो रही है ऐसी स्थिति में किसानों/विक्रेताओं की उपज का तत्परता से नीलामी द्वारा विक्रय सुनिश्चित करने के साथ ही प्रांगण की अन्य व्यवस्थाओं को भी चाक-चौबंद रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि मंडी प्रांगण और सौदा-पत्रक के माध्यम से किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज का मंडी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं संदर्भित दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित एवं पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जावे। किसानों के विक्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा

देय मंडी फीस की प्राप्ति उपरांत ही उपज की निकासी/परिवहन के अनुज्ञा-पत्र जारी करने पर सतत निगरानी रखी जाकर व्यापारी द्वारा घोषित क्षमता अनुसार ही खरीदी सुनिश्चित करें।

3. समस्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को सूचित करें कि किसानों/ विक्रेताओं द्वारा मंडी व्यवस्था के अंतर्गत बेची गई कृषि उपज का चेक से भुगतान नहीं किया जायेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जाएं।

4. वर्तमान में सौदा पत्रक (फार्मगेट एप) के माध्यम से भी विक्रय संव्यवहार हो रहे है जिनमें भी कृषक भुगतान की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है। इस संबंध में भी उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. कृषि उपज मंडी समितियों में कृषक भुगतान की प्रक्रिया/व्यवस्था का सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध संसाधनों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

अत: सभी मंडियों में उक्त निर्देशों एवं प्रक्रिया का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाये। कृषकों के विक्रय मूल्य का भुगतान अथवा मंडी फीस व्यतिक्रम का प्रकरण प्रकाश में आने पर मंडी सचिव एवं इस कार्य हेतु निर्दिष्ट कर्मचारियो को उत्तरदायी मानकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(जी व्ही रश्मि)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/भुगतान/369/ 2085 भोपाल दिनांक 13/12/2022

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/ उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार तथा नियत समय सीमा में भुगतान एवं मंडी फीस की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सतत मॉनिटरिंग की जाये। कृषक का भुगतान अथवा मंडी फीस व्यतिक्रम का प्रकरण प्रकाश में आने पर आँचलिक अधिकारी भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(327) (3)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/बी–6/उप विधि/1–3/531 भोपाल दिनांक 05.06.2017

प्रति,

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय–(समस्त)

2. अध्यक्ष/सचिव,

कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)...........जिला——— .

विषय:– कृषकों को आरटीजीएस/एनईएफटी से तथा नगद ही भुगतान करने बाबत्।

संदर्भ:– बोर्ड के आदेश क्रमांक 2916 दिनांक 10/11/2016 तथा 2924 दिनांक 11/11/2016 क्रमांक 2934 दिनांक 16/11/2016 के तारतम्य में।

संदर्भित आदेशों से कृषकों को उनकी उपज का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से करने की अनुमति दी गई थी। विचारोपरान्त कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के तहत अधिसूचित कृषि जिंस के क्रय करने पर उपज की कीमत का भुगतान, विक्रेता को उसी दिन किया जाना अनिवार्य होने से, बोर्ड के आदेश क्रमांक 2916 दिनांक 10/11/2016 तथा 2924 दिनांक 11/11/2016 क्रमांक 2934 दिनांक 16/11/2016 के तहत एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान करने की अनुमति एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

आज दिनांक से कृषकों की सुविधा हेतु उनकी उपज का 50 प्रतिशत भुगतान नगद में तथा शेष 50 प्रतिशत भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उसी दिन उसी समय बैंक के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशील आयकर अधिनियम के अध्यधीन होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा जिसका कड़ाई से पालन कराया जावे।

(राकेश श्रीवास्तव)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

क्र./निय./ -6/उप विधि/1-3/532 भोपाल दिनांक 05.06.2017

प्रतिलिपि–

1– सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.।

2– निज सहायक, मा. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल

3– स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त म. प्र. शासन भोपाल।

4– प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।

5– आयुक्त संभाग समस्त म. प्र.।

6– प्रबंध संचालक म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य भण्डार एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन/मार्कफेड भोपाल

7– जिला कलेक्टर समस्त म.प्र.।

8– क्षेत्रिय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम/सीसीआई/नाफेड/एसएफएसी भोपाल/इन्दौर म.प्र.

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./ बी–6/नियमन/भुगतान/369/1514 भोपाल,दिनांक 23/09/2017
प्रति,

महत्वपूर्ण

1) संयुक्त संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा

2) सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला ....

विषय:–किसानो को कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध मे।

संदर्भ:–कार्यालयीन पत्र क्र0/नि0/बी–6/उपविधि/1–3/531–532 दिनांक 05.06.2017

विषय संदर्भ मे लेख है की प्रदेश के कृषको के द्वारा मण्डी प्रांगण मे बेची गई अधिसूचित कृषि उपज का चेक द्वारा भुगतान किये जाने व समय पर भुगतान प्राप्त नही होने के संबंध मे शिकायते प्राप्त हो रही है। जबकि सन्दर्भित आदेश द्वारा किसी भी केता व्यापारी द्वारा चैक से विकेता कृषको को भुगतान करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कृषको को नगद अथवा उनके खाते मे सीधे बैंक ट्रांसफर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 से ही भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

2/ म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(क) के अनुसार मण्डी प्रांगण मे कय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विकेता को उसी दिन मंडी प्रांगण मे किया जाना प्रावधानित है तथा उसी दिन भुगतान न होने की स्थिति मे धारा 37(2)(ख) के अनुसार विकेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का प्रावधान है एवं इस अतिरिक्त अवधि मे भी भुगतान का व्यतिकम होने पर धारा 37(2)(ग) के अनुसार केता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठवे दिन स्वतः रद्द समझी जाने का प्रावधान है।

3/ इसके अतिरिक्त म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 36(3) के तहत अधिसूचित कृषि उपजो के विकय हेतु खुले नीलामी पद्धति/घोष विकय द्वारा तय किये गये मूल्य मे किसी भी कारण से कोई कटौती नही किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4/ व्यापारियों के द्वारा कृषकों को भुगतान हेतु आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 प्रणाली के उपयोग करने पर किसी भी प्रकार के बैंक कमीशन या सर्विस चार्ज का भुगतान वहन करना क्रेता / व्यापारी का ही दायित्व है। अतः कृषकों को उनकी उपज का पूर्ण मूल्य, बगैर किसी कटौत्रे के प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाये।

5/ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 से स्पष्ट है कि कोई भी कृषि उपज मंडी प्रांगण से हटाये जाने के पूर्व, विक्रय के पूर्व, प्रसंस्करण के पूर्व, पूर्ण मंडी शुल्क प्राप्त कर अनुज्ञा पत्र जारी करवाया जाना अनिवार्य है अन्यथा पांच गुना पेनल्टी मय ब्याज उल्लंघनकर्त्ता क्रेता को जमा कराना होगा।

6/ अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है कि मंडी अधिनियम की धारा 37(2) की तहत कृषको पूर्ण भुगतान हो गया यह सुनिश्चित कराना अनिवार्य है कि मंडी प्रांगण मे क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान उसी दिन मंडी प्रांगण मे किया जा चुका है।

7/ कृषकों के भुगतान के जोखिम के निराकरण के लिए व्यापारियों के द्वारा उनकी एक दिन की क्रय क्षमता का घोषणा पत्र लिया जाकर तदानुसार आवश्यक प्रतिभूति मण्डी समिति में जमा कराई जाती है।

8/ व्यापारियों की एक दिन की क्रय क्षमता के अनुरूप अधिसूचित कृषि उपजों की खरीदी का परीक्षण किये जाने तथा घोषित क्रय क्षमता से अधिक क्रय किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिभूति लिए जाने के संबंध में मुख्यालय से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं एवं इस कार्यवाही का सतत् परीक्षण किये जाने का दायित्व मण्डी सचिवों / आंचलिक कार्यालय प्रभारियों को सौंपा गया हैं।

9/ अतः एक दिन की अधिकतम खरीदी क्षमता के अनुरूप आवश्यक प्रतिभूति जमा नही कराये जाने की स्थिति में कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर मण्डी सचिव उत्तरदायी होंगे।

10/ उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देशो को मण्डी अधिनियम, उपविधि तथा आयुक्त सह प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्थायी महत्तव के आवश्यक दिशा निर्देश होने से कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण मे प्रवेश, तौल, भुगतान तथा कृषको के सघन उपस्थिति वाले प्रत्येक स्थल पर बड़े-बड़े सुवाच्य अक्षरों मे होर्डिंग तैयार करा, प्रदर्शित किया जावे और प्रतिदिन प्रांगण मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों स उदघोषणा निरन्तर जारी रख व समुचित प्रचार प्रसार भी योग्य माध्यमो से किया जावे। सूचना होर्डिंग मे तत्संबंधी कार्रवाई हेतु अधिकृत प्रांगण प्रभारी निरीक्षक, मंडी सचिव, आंचलिक संयुक्त संचालक के नाम और दूरभाष क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

मण्डी अधिनियम के उक्त प्रावधानो के दृष्टिगत विलम्बित भुगतान के ऐसे प्रकरणों के प्रकाश मे आने पर, व्यापारी / फर्म के विरूद्ध म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 एवं उपविधियो के प्रावधान अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जावे एवं कृषको के भुगतान में किसी भी प्रकार के कटौत्रे अथवा व्यतिक्रम के प्रकरणो की

letter 2017

पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में नियमित रूप से आंचलिक अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाकर, अधीनस्थ मण्डियो में ऐसे प्रकरण/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही त्वरित कराया जाना सुनिश्चित कर प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को यथासमय प्रस्तुत किया जावे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./ बी–6/नियमन/भुगतान/369/1415 भोपाल,दिनांक 23/09/2017

1/ निज सचिव, माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म0प्र0।

2/ स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन।

3/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।

4/ जिला कलेक्टर्स (समस्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृषको की विक्रित कृषि उपज का भुगतान उसी दिन अनिवार्यतः किया जाना मंडी अधिनियम मे प्रावधानित है, कृपया तदानुसार कार्यवाही करावे।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(278) (8)

महत्वपूर्ण

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0 / नियमन / भुगतान / 369 / 2017-18 / 1579 भोपाल, दिनांक 11 / 10 / 2017

प्रति,

1) संयुक्त / उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय, भोपाल / इंदौर / उज्जैन /
ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा (म0प्र0)।

2) सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला ....

विषयः-किसानों को कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध में।

संदर्भः-कार्यालयीन पत्र क0 / बी-6 / उपविधि / 1-3 / 531-532 दि. 05.06.2017
एवं पत्र कमांक / बी-6 / नियमन / भुगतान / 369 / 1414 दिनांक 23.09.2017.

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09.10.2017 को आहूत उच्चस्तरीय बैठक में कृषकों की नगद भुगतान की आवश्यकता को दृष्टिगत रख प्रदेश की सभी राष्ट्रीकृत बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक को पर्याप्त मात्रा में नगद भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

2. कृषकों का उनके कृषि उपज पर अधिकतम नगद भुगतान की वांछा होती है अतएव राज्य शासन द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक से अपेक्षा की है कि कृषकों को उनके उपज का रूपये 50 हजार तक नगद भुगतान करायें जाने हेतु सभी जिलों एवं मंडी क्षेत्रों की बैंकों को पर्याप्त मात्रा में नगदी की तरलता उपलब्ध करा दी जावे।

(279) (9)

3. समस्त बैंकों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि प्रदेश मे नगदी की उपलब्धता आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में है जिससे की कृषकों को विधि की परिधि में वांछित अनुसार नगद भुगतान उपलब्ध कराये जाने में कोई कठिनाई नहीं होन दी जावेगी।

4. उपरोक्त विमर्श में यह भी सहमति बनी की कृषकों को उनकी कृषि उपज पर रूपये 50 हजार तक नगद भुगतान कराये जाने की व्यवस्था की जावे और उससे अधिक भुगतान होने पर अतिरिक्त शेष राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे कृषक के खाते में जमा कर दी जावे।

5. संदर्भित परिपत्रों से कृषकों के द्वारा मंडी प्रांगण में विक्रय की गई कृषि उपज के पूर्ण भुगतान को नगद अथवा उनके खाते में सीधे बैंक ट्रांस्फर आरटीजीएस/एनईएफटी से ही भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

6. समस्त आंचलिक अधिकारी तथा सचिव मंडी अपने मंडी क्षेत्रों की नगदी का गत-वर्षो के और इस वर्ष के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक क्रय-विक्रय के आधार पर आंकलन कर, आवश्यकता जिला कलेक्टर के माध्यम से बैंक अधिकारियों, मंडी से संबंधित व्यापारी संगठनों, प्रमुख व्यापारियों तथा सभी संबंधित हितधारक पक्षों की अविलंब बैठक आहूत करेंगे और बैंकों से मंडियों में आवश्यक होने वाली नगद धनराशि से कृषकों को भुगतान की सुलभ व्यवस्था कराना सुनिश्चित करावेंगे।

उपरोक्त विषय राज्य शासन के उच्चतम स्तर पर मानिटरिंग मे है अतः सर्वोच्च प्राथमिकता पर समय-सीमा मे कार्रवाही पूर्ण की जाकर एक सप्ताह में प्रतिवेदन अनिवार्यतः उपलब्ध करावे ताकि शासन को पालन प्रगति से अवगत कराया जा सके।

(फैजअहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/नियमन/भुगतान/369/2017-18/1480 भोपाल, दिनांक 11/10/2017

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म0प्र0 शासन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
3. सचिव, माननीय मुख्य सचिव जी, म0प्र0 शासन, भोपाल।
4. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।
9. आयुक्त संभाग..............(समस्त)।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।
12. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली।
14. कलेक्टर, जिला..................(समस्त) की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि मान0 मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार अधिकतम यथासंभव नगद भुगतान व्यवस्था हेतु समन्वय कर समुचित कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ बी–6 / नियमन / भुगतान / 369 / .... भोपाल,दिनांक / 11 / 2017

प्रति,

1 संयुक्त / उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / जबलपुर / ग्वालियर / सागर / रीवा

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला.............................. (समस्त)

विषयः– कृषको को कृषि उपज का पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध मे।

संदर्भः–1) मंडी बोर्ड, मुख्यालय का पत्र कमांक / बी–6 / नियमन / भुगतान / 369 / 531–532 दिनांक 05.6.2017, पत्र कमांक 1414–1415 दिनांक 23.9.2017 पत्र कमांक 1479–1480 दिनांक 11.10.2017, पत्र कमांक 1578–1579 दिनांक 27.10.2017

2) भारत सरकार, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, म0प्र एवं छ0ग0, भोपाल का पत्र क./Pr.CCIT/MP&CG/Tech. 2017-18 दिनांक 31.10.2017

3) भारत सरकार का पत्र कमांक / एफ.नं. 370149 / 213 / 2017–टीपीएल नई दिल्ली दिनांक 3 नवम्बर 2017

भारत सरकार तथा मण्डी बोर्ड मुख्यालय के सन्दर्भित पत्रो से कृषको को आयकर अधिनियम की धारा 40 A, आयकर नियम 1962 के नियम 6 DD(e) के प्रावधान स्पष्ट कर कृषको को अपनी उपज के नगद भुगतान किये जाने की पात्रता की सीमा को स्पष्ट किया गया है।

अतः कृषको को निर्देशानुसार समुचित मात्रा मे नगद तथा आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 से भुगतान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, किसी भी दशा मे चैक से भुगतान करने की अनुमति नही हैं,और ऐसी स्थिति प्रकाश मे आने पर संबंधित मण्डी सचिव, उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी तथा संबंधित व्यापारी पर मण्डी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ेगा।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/ बी–6/नियमन/भुगतान/369/ भोपाल,दिनांक /11/2017

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0 शासन भोपाल।

2/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।

3/ स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 भोपाल।

4/ प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।

5/ प्रमुख सचिव, वित्त, म0प्र0 शासन भोपाल।

6/ प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।

7/ प्रमुख सचिव सहकारिता म0प्र0 शासन भोपाल।

8/ आयुक्त........................ संभाग (समस्त)।

9/ जिला कलेक्टर, जिला.............................. (समस्त)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

महत्वपूर्ण 401

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, किसान भवन जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक बी–6/नियमन/भुगतान/369/1830 भोपाल, दिनांक 9–04–2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
– – – – —जिला – – – – (समस्त)

विषयः किसानों को कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध में।
संदर्भः कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी–6/नियमन/369/1414 दिनांक 23.09.2017।

—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा किसानों को उनकी उपज के भुगतान के संबंध में में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में किसानों को चेक द्वारा भुगतान नही किया जाएगा और सभी चेक भुगतानों को प्रतिबंधित किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व इंदौर संभाग की खण्डवा, धार, करही एवं खरगौन मंडियों में यह घटना प्रकाश में आती है कि व्यापारियों द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज का भुगतान पोस्ट डेटेट चेक दिये गये जो बाद में संबंधित बैंकों द्वारा अस्वीकार किया गया और किसानों को कृषि उपज का भुगतान अभी तक लंबित है तथा संबंधित व्यापारी भी रातों–रात गायब हो गये । भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं तत्काल लागू की जाती है :–

1– प्रतिदिवस घोष विक्रय से पहले लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा करी जाए कि, "केवल नगद या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा चेक से सभी भुगतान प्रतिबंधित है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे चेक से भुगतान प्राप्त न करें तथा यदि किसी व्यापारी के द्वारा चेक से

AC

भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट मण्डी समिति कार्यालय में करें।"

2— इसके साथ–साथ यह भी उद्घोषणा लगातार की जाए कि "यदि कोई किसान चेक से भुगतान प्राप्त कर रहा है तो मण्डी समिति की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।" यदि मण्डी में लाउडस्पीकर की व्यवस्था नही है तो तब हैंडमाइक से इसकी उदघोषणा करायी जाए।

3— यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंडी में अनुज्ञा जारी करने से पहले संबंधित किसानों को उनकी कृषि उपज का भुगतान उनके बैंक खाते में प्राप्त हो गया है, इसका प्रमाणीकरण व्यापारियों से लिया जिसमें यूटीआर नंबर होना चाहिए साथ ही भुगतान पर्ची मे भी किसान का बैंक खाता कमांक व मोबाइल नंबर स्पष्ट दर्ज होना चाहिए।

4— भुगतान पत्रक में किसानों का खाता कमांक, मोबाइल नंबर लिया जाए और व्यापारी द्वारा जो जानकारी यूटीआर के संबंध मे दी जाती है उनसे दोनो का मिलान कर लिया जावे कि व्यापारी द्वारा भुगतान उसी खाते में किया गया है।

5— समय–समय पर भुगतान के संबंध में जांच रैंडम के आधार पर करी जावे, इसको जानकारी किसान से चर्चा कर कि उनको भुगतान प्राप्त हुआ है अथवा नहीं?

6— किसी भी लाइसेंसी व्यापारियों को उसके द्वारा दैनिक क्षमता के अनुरूप मंडी में जमा वैध व्यक्तिगत व सामूहिक प्रतिभूति, एफडी या बैंक गारण्टी अथवा नगद से जमा मात्रा अधिक कय करने की अनुमति नहीं दी जावे। प्रत्येक लाइसेंसी व्यापारी की जमा प्रतिभूति व दैनिक कयक्षमता बड़े–बड़े सुपाठ्य अक्षरों में प्रवेश, नीलामी, तौल तथा भुगतान स्थलों पर होर्डिंग लगाकर प्रदर्शित करावे।

7— उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

(15)
(403)

क्रमांक बी–6 / नियमन / भुगतान / 369 / 1851 भोपाल दिनांक 9 –04–2018

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– अपर / संयुक्त / उपसंचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय रोस्टर निरीक्षण तथा मंडी भ्रमण के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं पर परिपालन कर प्रतिवेदन अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे।

4– संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – – – – समस्त की ओर भेजकर निर्देशों के पालन में कोताही बरतने वाले सचिव व संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

OIC

.16
408

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क / बी–6 / नियमन / भुगतान / 369 / 1834 भोपाल, दिनांक 10 / 04 / 2018

प्रति,

1) संयुक्त संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा

2) सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..... जिला .....

विषयः–किसानो की कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध में।

संदर्भः–कार्यालयीन परिपत्र क0 / नि0 / बी–6 / उपविधि / 1–3 / 531–532 दिनांक 05.06.2017, परिपत्र कमांक 1414 दिनांक 23.9.2017, परिपत्र कमांक 1479 दिनांक 11.10.2017 एवं परिपत्र कमांक 1620 दिनांक 20.11.2017

1 / विषय संदर्भ मे लेख है की प्रदेश के कृषको के द्वारा मण्डी प्रांगण मे बेची गई अधिसूचित कृषि उपज का चेक द्वारा भुगतान किये जाने व समय पर भुगतान प्राप्त नही होने के संबंध मे शिकायते प्राप्त हो रही है। जबकि सन्दर्भित आदेश द्वारा किसी भी केता व्यापारी द्वारा चैक से विकेता कृषको को भुगतान करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा कृषकों को नगद अथवा उनके खाते मे सीधे बैंक ट्रांसफर आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 से ही भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

2 / म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(क) के अनुसार मण्डी प्रांगण मे कय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विकेता को उसी दिन मंडी प्रांगण मे किया जाना प्रावधानित है तथा उसी दिन भुगतान न होने की स्थिति मे धारा 37(2)(ख) के अनुसार विकेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का प्रावधान है एवं इस अतिरिक्त अवधि मे भी भुगतान का व्यतिकम होने पर धारा 37(2)(ग) के अनुसार केता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठवे दिन स्वतः रद्द समझी जाने का प्रावधान है।

3 / इसके अतिरिक्त म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 36(3) के तहत अधिसूचित कृषि उपजो के विकय हेतु खुले नीलामी पद्धति / घोष विक्रय द्वारा तय किये गये मूल्य मे किसी भी कारण से कोई कटौती नही किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4/ व्यापारियो के द्वारा कृषको को भुगतान हेतु आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 प्रणाली के उपयोग करने पर किसी भी प्रकार के बैंक कमीशन या सर्विस चार्ज का भुगतान वहन करना केता/व्यापारी का ही दायित्व है। अतः कृषको को उनकी उपज का पूर्ण मूल्य, बगैर किसी कटौत्रे के प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाये।

5/ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 मे स्पष्ट है कि कोई भी कृषि उपज मंडी प्रांगण से हटाये जाने के पूर्व, विक्रय के पूर्व, प्रसंस्करण के पूर्व, पूर्ण मंडी शुल्क प्राप्त कर अनुज्ञा पत्र जारी करवाया जाना अनिवार्य है अन्यथा पांच गुना पेनल्टी मय ब्याज उल्लंघनकर्त्ता केता को जमा कराना होगा।

6/ अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है कि मंडी अधिनियम की धारा 37(2) की तहत कृषको पूर्ण भुगतान हो गया, यह सुनिश्चित कराना अनिवार्य है कि मंडी प्रांगण मे क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान उसी दिन मंडी प्रांगण मे किया जा चुका है।

7/ कृषकों के भुगतान के जोखिम के निराकरण के लिए व्यापारियों के द्वारा उनकी एक दिन की क्रय क्षमता का घोषणा पत्र लिया जाकर मंडी रिकार्ड से आंकलन कर, तदानुसार आवश्यक प्रतिभूति मण्डी समिति मे जमा कराई जाती हैं। कृषकों को भुगतान के जोखिम के निराकरण के लिये व्यापारियों की अधिकतम दैनिक क्रय क्षमता तथा जमा प्रतिभूति के अनुरूप मात्रा मे ही मंडी प्रांगण मे दैनिक क्रय करने की अनुमति दी जाये। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति को आरटीजीएस/एनईएफटी प्रणाली से किये जा रहे है भुगतान की पुष्टि उसी दिन प्राप्त न होने की समस्या को दृष्टिगत रख केता अनुज्ञप्तिधारियों से उनके द्वारा क्रय की जाने वाली साप्ताहिक कृषि उपज मात्रा का आंकलन कर तदानुरूप मंडी के हित मे उपविधि 18(3) व 18(4) अनुसार वचन पत्र प्राप्त कर, एफडी या बैंक गांरटी या नगद प्रतिभूति जमा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

व्यापारियो संघो द्वारा प्रस्तुत सामूहिक प्रतिभूति की मंडी सचिव तथा आंचलिक अधिकारियां द्वारा समीक्षा कराई जाकर, उक्त को मंडी मे क्रय-विक्रय होने वाले अधिकतम कृषि उपज मात्रा के मूल्य के अनुरूप प्राप्त होने पर ही मान्य करने की कार्यवाही की जाये।

8/ व्यापारियों की एक दिन की क्रय क्षमता के अनुरूप अधिसूचित कृषि उपजों की खरीदी का परीक्षण किये जाने तथा घोषित क्रय क्षमता से अधिक क्रय किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिभुति लिए जाने के व कृषकों को भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि कराये बिना अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में मुख्यालय से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं एवं इस कार्यवाही का सतत परीक्षण किये जाने का दायित्व मण्डी सचिवों/आंचलिक कार्यालय प्रभारियों को सौंपा गया हैं।

9/ अतः एक दिन की अधिकतम खरीदी क्षमता के अनुरूप आवश्यक प्रतिभूति जमा नही करने जाने की स्थिति में कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर मण्डी सचिव प्रांगण प्रभारी, निलामीकर्ता व अनुज्ञापत्र जारी कर्ता निरीक्षक व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होंगे।